नियम एवं शर्तें:

कृपया ऋण के लिए आवेदन करने से पहले नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें। एक बार ग्राहक के द्वारा नियमों व शर्तों पर हस्ताक्षर करने के बाद, ग्राहक (इसके बाद कर्जदार कहा जाएगा) और पॉल मर्चेंट्स फाइनेंस (प्रा.) लिमिटेड (इसके बाद ऋणदाता के रूप में संदर्भित) पंजीकृत कार्यालय ग्राउंड फ्लोर, एस सी ओ 829-830, सेक्टर 22-ए, चंडीगढ़-160022, से ग्राहक द्वारा प्राप्त किसी भी ऋण सुविधा उस पर कानूनी रूप से बाध्य मानी जाएगी, ग्राहक नीचे दिए गए नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ें और अपनी स्वीकृति के प्रतीक के रूप में अपने हस्ताक्षर करें।

कर्जदार इसके द्वारा निम्नलिखित नियमों और शर्तों से सहमत होता है और स्वयं को बाध्य करता है:-

परिभाषा:

"परिसम्पति/परिसम्पतियों " का अर्थ ऋण प्राप्त करने के लिए कर्जदार द्वारा ऋणदाता के पास जमा किए गए सोने के आभूषण है, जिसका विशेष रूप से ऋण आवेदन में वर्णन किया गया है।

"कर्जदार बकाया (कर्जदार के द्वारा देय राशि)" का अर्थ है और इसमें शामिल है -ऋण की बकाया मूल राशि, ब्याज जुर्माना ब्याज, सभी शुल्क, लागत, और खर्चे, वैधानिक लागत, स्टैंप, ड्यूटी व अन्य खर्च, जिनका कर्जदार के द्वारा ऋणदाता को इन नियमों व शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

इस बात पर विचार करते हुए कि ऋणदाता ने कर्जदार को ऋण देने पर सहमति व्यक्त की है, कर्जदार अपरिवर्तनीय रूप से निम्नलिखित नियमों और शर्तों को स्वीकार करने का वचन देता है और पुष्टि करता है: -

1. ऋण आवेदन पत्र में दिए गए विवरण और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर और ऋणदाता द्वारा ऋणदाता के समक्ष प्रस्तुत संपत्ति के मूल्यांकन के बाद, ऋणदाता ने कर्जदार को एक ऋण स्वीकृत किया है, जो विशेष रूप से 'प्रतिज्ञा प्रपत्र'(Pledge Form) में वर्णित है। (नोट: सोने के बिस्कुट, बार, सिक्के और किसी भी प्रकार के 24 कैरेट के आभूषणों को जमानत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा)

2. "ऋण की राशि कर्जदार द्वारा गिरवी रखने के लिए प्रस्तुत सोने के आभूषणों की कैरेट शुद्धता के आधार और चुनी गई ऋण योजना पर निर्भर करेगी। ऋण की न्यूनतम अवधि 15 दिन है और ऋण की अधिकतम अवधि 12 महीने होगी। यदि कर्जदार 15 दिनों से पहले ऋण बंद करना चाहता है, तो कर्जदार न्यूनतम 15 दिनों का ब्याज जो भी हो, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। गिरवी रखने के लिए प्रस्तुत सोने के संबंध में कर्जदार का दावा, भविष्य में प्रतिज्ञा प्रपत्र में घोषित शुद्ध मूल्य तक सीमित होगा। ऋण की अवधि पूरी होने पर, ऋण को निष्क्रिय माना जाएगा और कर्जदार को बंद होने के दिन तक बकाया सभी बकाया राशि का भुगतान करके या तो ऋण बंद करना होगा या आवेदन करके उक्त ऋण का लागू नए नियम और शर्तों के अनुसार नवीनीकरण कराना होगा। । यदि कर्जदार द्वारा निष्क्रिय ऋण को बंद करने या नवीनीकरण में देरी की जाती है, तो कर्जदार ऐसे विलंबित समापन या नवीनीकरण के लिए समय-समय पर लागू अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। एन पी ए की परिभाषा के अनुसार, निष्क्रिय ऋणों को स्वचालित रूप से गैर-निष्पादित परिसंपत्ति(non-performing asset) माना जाएगा।"

3. बशर्ते कि लागू वैधानिक प्रतिबंध. कर्जदार को ऋण राशि का भुगतान, सभी प्रारंभिक भुगतानों जैसे कि प्रशासनिक शुल्क, प्रीमियम, ट्रांजैक्शन/ संवर्धन शुल्क इत्यादि को काट कर किया जाएगा। ऋणदाता अपनी मर्जी के अनुसार लागू वैधानिक प्रतिबंधो की शर्त पर ऋण का भुगतान चैक/ नकद/ बैंक ट्रांसफर के द्वारा कर सकता है ।

4. यदि ऋण की अदायगी चैक या पे-आर्डर से की जाती है तो कर्जदार को की गई अदायगी चैक या पे-आर्डर, जैसा कि मामला हो, को उसे सौंपने की तिथि से मानी जाएगी।

5. आगे इस बात पर भी सहमति है कि ऋणदाता कर्जदार से ऐसे अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कह सकता है जिनकी भविष्य में किसी भी समय इन नियमों व शर्तों, किसी अन्य समझौते के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यकता हो या किसी अन्य प्रावधान को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो सकता है। कर्जदार बिना किसी आपत्ति या देरी के ऋणदाता द्वारा आवश्यक होने पर ऐसे सभी दस्तावेजों के हस्ताक्षर करने का वचन देता है। ऋणदाता के पास किसी भी शर्त को बदलने या संशोधित करने का अधिकार है, परिवर्तनों को एस एम एस सहित किसी भी अनुमितप्राप्त मोड के माध्यम से भेजे जाने वाले नोटिस से कर्जदार को सूचित किया जाएगा। यह कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा, जिसे कर्जदार को इस संबंध में नोटिस दिए जाने की उचित सेवा माना जाएगा।

6. लागू ब्याज दर प्रत्येक योजना/स्लैब के तहत दिए जाने वाले ऋण में शामिल जोखिम व लागतों को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है। जबकि ब्याज के भुगतान की नियत तारीख गिरवी फॉर्म में उल्लिखित परिपक्वता तिथि के अनुसार है, कंपनी कम अवधि पर ब्याज का भुगतान करने वाले ग्राहकों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। तदनुसार, जिस स्कीम में ऋण के वापिस भुगतान की अवधि छोटी है उसमें व्याज की दर कम होगी, तथा इसे ऋण अवधि के अनुसार बढ़ाया जाएगा। ब्याज के भुगतान की अवधि में वृद्धि के साथ इसे उत्तरोत्तर बढ़ाया जाएगा।

7. कर्जदार इसके द्वारा यहां पर वचन देता है और पुष्टि करता है कि उसके द्वारा गिरवी रखे गए सोने के आभूषण कानूनी रूप से उसके हैं और चोरी के और नकली नहीं हैं। यदि यह तथ्य अन्यथा साबित होता है, तो ऐसे मामले में ऋणदाता द्वारा किए गए सभी नुकसान/ हानि के लिए कर्जदार जिम्मेदार होगा। ऋणदाता के पास सोना गिरवी रखकर, कर्जदार यह स्वीकार करता है और पुष्टि करता है कि वह सोने का एकमात्र मालिक है और उसके पास वैध कब्ज़ा है और वह इसे ऋणदाता के पास गिरवी रखने के लिए विधिवत सक्षम है।

8. ऋण स्वीकृत करके, ऋणदाता 22 कैरेट शुद्धता के गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की पुष्टि या स्वीकार नहीं करता है। यदि ऋणदाता को पता चलता है कि गिरवी रखे गए सोने के आभूषण निम्न गुणवत्ता वाले(22 कैरेट की शुद्धता से कम) या नकली प्रकृति के हैं, तो कर्जदार ऋणदाता के ऐसे निष्कर्षों से बाध्य होगा और तथा उसे तुरंत ऋण राशि को ब्याज सहित वापिस करने तथा ऋणदाता के द्वारा उठाई गई हानि की भी भरपाई करने के लिए बाध्य होगा। ऐसा न करने पर ऋणदाता को इस तरह के नुकसान की वसूली के लिए कानूनी

कार्यवाही शुरू करने और कर्जदार द्वारा सभी बकाया चुकाए जाने तक जमानत को अपने पास रखने का अधिकार है।

9. ऋणदाता के कर्मचारियों/लेखा परीक्षकों को ऋण के संवितरण के समय और फिर जब भी ऐसा सत्यापन हो, ऋणदाता द्वारा निर्धारित मानक मूल्यांकन विधियों को अपनाते हुए जमानत के तौर के रूप में पेश किए गए आभूषणों की शुद्धता को सत्यापित करने का अधिकार होगा। कर्जदार स्वीकार करता है और सहमत है कि ऐसी स्थिति में उसके द्वारा गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों को कुछ नुकसान हो सकता है जो एक सामान्य घटना है, जिसके लिए वह भविष्य में कभी भी कोई आपत्ति/विवाद नहीं उठाएगा।

10. कर्जदार ऋणदाता की एक शाखा या एकाधिक शाखाओं से कितनी भी संख्या में ऋण लेने के लिए स्वतंत्र है, हालांकि ऋण प्राप्त करने या लेने के लिए, कर्जदार को सभी सभी प्रकार के ब्याज, जुर्माना ब्याज और तथा ऋणदाता के साथ वर्तमान सभी ऋणों पर लंबित अन्य सभी शुल्कों का भुगतान/निपटान करना होगा। इसी प्रकार, एकाधिक ऋण वाले कर्जदार को सभी मौजूदा ऋणों का बकाया चुकाने या निष्क्रिय ऋणों के नवीनीकरण के बाद ही ऋण बंद करने या आंशिक रूप से जारी करने की अनुमति दी जाएगी।

11. ऋण का उपयोग कर्जदार द्वारा केवल वैध उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और इसका उपयोग किसी भी काल्पनिक, अनुचित या गैरकानूनी उद्देश्यों/गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा। परन्तु फिर भी, किसी भी स्थिति में केवल कर्जदार ही ऋण प्राप्त राशि के किसी भी प्रकार के उपयोग के लिए जिम्मेदार/उत्तरदायी होगा।

12. ऋण का भुगतान प्रतिज्ञा प्रपत्र में सहमति के अनुसार ब्याज दर अनुसूची के अनुसार किया जाएगा। चेक/डीडी द्वारा किया गया भुगतान वैधता के अधीन होगा। चेक बाउंस के मामले में, इन शर्तों के अनुसार अन्य दंडों के अलावा इस खाते पर 300/- रुपये का शुल्क लगाया जाएगा। बैंक हस्तांतरण के माध्यम से पुनर्भुगतान के मामले में, चालू खातों से ब्याज या मूल भुगतान के रूप में कोई भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

13. यदि ऋणदाता की राय में ऋण गलत बयानी, असत्य या तथ्यों को छिपाकर या किसी अन्य कारण से लिया गया है जो ऋणदाता ऋणदाता की राय में अनुचित हो तो ऋणदाता द्वारा स्वीकृत ऋण अवधि(जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया गया है)की समाप्ति से पहले किसी भी समय ऋण वापस लेने का अधिकार है । इस संबंध में ऋणदाता का निर्णय अंतिम और कर्जदार पर बाध्यकारी होगा। यदि मांग की जाती है, तो कर्जदार ब्याज सहित पूरे ऋण का भुगतान करने और गिरवी रखे गए आभूषणों को वापस लेने के लिए बाध्य होगा, ऐसा न करने पर इसे कर्जदार की ओर से डिफ़ॉल्ट/ चूक की घटना के रूप में माना जाएगा और ऋणदाता इन नियमों व शर्तों की शर्त 28 के अनुसार आगे कदम उठाने का अधिकारी होगा।

14. ऋण का भुगतान नकद/चेक या डिमांड ड्राफ्ट या ऐसी अन्य विधि के माध्यम से किया जाएगा जो ऋणदाता द्वारा समय-समय पर वैधानिक मानदंडों के अनुसार निर्धारित की गई है और कर्जदार के द्वारा बिना किसी एतराज व विलम्ब के ऐसे निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। मूलधन और ब्याज कर्जदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जमा करवाया जा सकता है। ऋण योजनाओं के आधार पर कर्जदार को ब्याज का भुगतान करने के लिए 0-7 दिनों की

छूट अवधि की अनुमति दी जाती है, जिसके बाद उसका ऋण स्वचालित रूप से प्रतिज्ञा फॉर्म में दी गई ब्याज दर अनुसूची के अनुसार अगले ब्याज दर स्लैब में स्थानांतरित हो जाएगा।

15. कर्जदार या कर्जदार के अधिकृत प्रतिनिधि को हर बार मूलधन/ब्याज का पुनर्भुगतान करते समय गोल्ड लोन रसीद लानी चाहिए तथा अंतिम भुगतान तथा गिरवी रखी चीजों को छुड़ाने के समय कर्जदार को असली रसीद ऋणदाता को वापिस लौटानी होगी रसीद खो जाने की स्थिति में, कर्जदार ऋणदाता द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार केवल 100/- गैर-न्यायिक स्टांप पेपर (नोटरीकरण के साथ) पर घोषणा (शपथ पत्र) देकर और ऋणदाता द्वारा निर्धारित अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों/आभूषणों को छुड़ा /बंद/नवीनीकृत कर सकता है।

16. कर्जदार या उसका नामांकित व्यक्ति गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों को छुड़ा सकता है, बशर्ते कि ऋण पर संपूर्ण बकाया ऋणदाता की संतुष्टि के अनुसार पूरी तरह से चुकाया गया हो। नामांकित व्यक्ति केवल कर्जदार की मृत्यु होने पर, कर्जदार के मृत्यु प्रमाण पत्र और मृत कर्जदार के नामांकित व्यक्ति होने का पर्याप्त दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करने पर गिरवी रखे गए आभूषणों को छुड़ा सकता है। ऋणदाता अपनी मर्जी से, नामांकित व्यक्ति को अन्य योग्य मामलों में उसके द्वारा बताई गई औपचारिकताओं को पूरा करने पर, कर्जदार की ओर से सोने के गहनों को प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है। , जो ऋणदाता के विवेक के अधीन है और नामांकित व्यक्ति द्वारा ऋणदाता द्वारा निर्धारित अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद।

17. कर्जदार के दिवालिया होने या उसकी मृत्यु होने पर ऋण का पुनर्भुगतान/भुगतान प्रभावित नहीं होगा अर्थात वह भार मुक्त नहीं होगा तथा कर्जदार व उसके वारिस सदैव ऋणदाता के ऋण का पूरा भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

18. उपरोक्त नियमों व शर्तों की शर्त 6 में उल्लिखित अनुसार प्रारंभिक भुगतान पर प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए कर्जदार के पास मासिक/त्रैमासिक ब्याज भुगतान करने का विकल्प होगा और ब्याज के भुगतान की आवधिकता के आधार पर, ऋण स्वचालित रूप से अगले ब्याज स्लैब में स्थानांतरित हो जाएगा। प्रतिज्ञा प्रपत्र में दी गई ब्याज दर अनुसूची के अनुसार, जिसे कर्जदार ने समझ लिया है और सहमति व्यक्त की है। डिफ़ॉल्ट के मामले में, ग्राहक वसूली की लागत के साथ ऋणदाता द्वारा लागू दंडात्मक शुल्कों का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

19. कर्जदार यह समझता है कि ऋणदाता सभी प्रासंगिक कारकों जैसे कि धन की लागत, जोखिम कारक, बाजार की स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए किसी भी समय अपने विवेक से ब्याज दर को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कर्जदार यह भी पुष्टि करता है कि उसने यह ऋण ब्याज दर सहित नियमों और शर्तों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद लिया गया है और भविष्य में किसी भी समय किसी भी आधार पर इस पर विवाद नहीं किया जाएगा।

20. कर्जदार द्वारा ऋण या उसके किसी हिस्से का पूर्व-भुगतान करने की स्थिति में, राशि को पहले लागत/शुल्क और ब्याज के लिए समायोजित किया जाएगा और फिर बिना किसी पूर्व-भुगतान शुल्क के मूल ऋण राशि की ओर समायोजित किया जाएगा।

21. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण को एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) माना जाएगा। यदि ऋण एनपीए हो जाता है, तो गिरवी रखे गए आभूषण सार्वजनिक नीलामी में या निजी बिक्री द्वारा जैसा कि ऋणदाता को अपनी पॉलिसी के अनुसार सही लगे, बेचे जाएंगे और प्राप्त राशि को ऋण तथा उस दिन तक के ब्याज, दण्डात्मक ब्याज, कानूनी लागतों, निलामी शुल्कों तथा ऋण देने व ऋण की वसूली के सम्बन्ध में खर्चों की ओर समायोजित कर दिया जाएगा। यदि फिर भी कमी रहती है तो उसकी भरपाई कर्जदार के द्वारा की जाएगी तथा यदि सभी खर्चों के समायोजन के बाद कुछ राशि शेष रह जाती है तो उसे कर्जदार को वापिस लौटा दिया जाएगा। ऋणदाता के द्वारा की जाने वाली ऐसी बिक्री में कर्जदार किसी भी प्रकार से कोई भी बाधा नहीं डालेगा तथा ऋणदाता ऐसी बिक्री के कारण कर्जदार को होने वाली किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यहां पर कर्जदार अपने सभी अधिकारों व दावों को ऋणदाता के पक्ष में पूरी तरह बिना शर्त त्यागता है।

22. जहां एक से अधिक कर्जदारों को ऋण प्रदान किया जाता है, वहां पर ऋण राशि को लागत, शुल्क, व्यय, कानूनी लागत इत्यादि के साथ लौटाने की जिम्मेवारी सभी कर्जदारों की संयुक्त व पृथक दोनों होगी तथा इन नियमों व शर्तों के अनुसार शब्द कर्जदार का अभिप्राय सभी कर्जदारों और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को शामिल करना होगा।

23. कर्जदार, ऋणदाता को चेक बाउंस होने पर, प्रस्तुत करने, प्रशासनिक शुल्कों, वैधानिक शुल्कों, ब्याज पर लगने वाले कर, वस्तु एवं सेवा कर, सभी प्रकार के अधिभारों (जिसमें स्टैंप ड्यूटी शामिल है) बिक्री कर/वैट (किसी भी प्रकार के, जिन्हें सरकार या अन्य प्राधिकरण के द्वारा समय-समय पर लगाया जाए) का वहन व भरपाई तथा अन्य सभी लागत और व्यय, चाहे वे किसी भी संबंध में हों:-
(क) ऋण के लिए आवेदन,अनुदान और पुनर्भुगतान के संबंध में;
(ख) ब्याज सहित ऋण की वसूली/उगाही;
(ग) प्रतिभूतियों के प्रवर्तन;
(घ) परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा लगाए गए सभी बकाया करों व अन्य शुल्कों व अधिभारों तथा
(ड़) परिसम्पत्तियों के बीमा के खर्च से सम्बन्धित अन्य सभी खर्चो का भुगतान व भरपाई भी करेगा।

24. ऋणदाता के पास इस लेन-देन में उसके पास गिरवी रखी गई जमानतों को बेचने, हस्तांतरित करने, सौंपने तथा उनमें अपने सभी अधिकारों, दावों व हितों की समीक्षा करने के लिए इन्हें किसी अन्य व्यक्ति व संस्था को सौंपने या इन पर उधार/ ऋण लेने/ अतिरिक्त अधिभार बनाने का पूरा अधिकार है। यदि आवश्यक हो, ऋणदाता के पास कर्जदार के द्वारा इस ऋण की जमानत के तौर पर जमा करवाए सभी जमानत दस्तावेजों, कार्यों, गहनों को, कर्जदार के हितों को हानि पहुँचाए बिना, आगे रुपये उधार लेने के लिए जमानत प्रतिभूति के तौर पर देने का अधिकार है। ऋणदाता को सुरक्षा आभूषणों को अपने कार्यालयों/शाखाओं के बीच स्थानांतरित करने का पूर्ण अधिकार है।
ऋणदाता को सुरक्षा आभूषणों को अपने कार्यालयों/शाखाओं के बीच स्थानांतरित करने का पूर्ण अधिकार है।

25. इन नियमों और शर्तों के शर्त 13 और 27 में परिभाषित डिफ़ॉल्ट की अन्य घटनाओं के अलावा, निम्नलिखित को भी डिफ़ॉल्ट की घटना माना जाएगा यदि कर्जदार
(क) इनमें से किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है, या
(ख) ऋणदाता को नियत तिथि पर बकाया राशि या किसी अन्य राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, या
(ग) ऋणदाता को कोई गलत बयानी देता है या
(घ) सुरक्षा/परिसंपत्ति या किसी भी हिस्से पर कर्जदार का अधिकार दोषपूर्ण है, या किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरीके से चुनौती अधीन है या
(ड.) प्रतिभूति/परिसम्पत्ति या उसका कोई हिस्सा जाली,, नकली या निम्न गुणवत्ता का पाया गया है या
(च) ऋण के लिए रखी जमानत खतरे में है या इसने अपना प्रभाव खो दिया है या यह अवैध, अयोग्य, अप्रवर्तनीय या अन्यथा निष्प्रभावी बन गई है या
(च) कर्जदार को दिवालिया घोषित कर दिया गया है या दिवालिया कार्यवाही के अधीन है और/या (छ) यदि कोई परिस्थिति या ऐसी घटना घटित होती है जो कर्जदार या उसके किसी भाग द्वारा दी गई सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है या ख़राब करती है या ख़तरे में डालती है या ख़तरे में डालने वाली या ख़राब करने वाली है।

26. यदि गिरवी रखे गए सोने के गहनों/ प्रतिभूतियों को चोरी या किसी प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकम्प इत्यादि के कारण क्षति होती है, तो ऋणदाता का दायित्व खोई हुई/ नष्ट हुई वस्तुओं को उसके बराबर वजन और शुद्धता जिसे प्रतिज्ञा प्रपत्र में घोषित किया गया हो,के साथ बदलने तक सीमित है।

27. कर्जदार द्वारा गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों के मूल्य में कमी की स्थिति में, ऋणदाता को यह अधिकार है कि वह कर्जदार से प्रतिभूति/जमानत जमा करने के लिए कह सकता है या ऋणदाता के पास अपेक्षित राशि जमा करके मूल्य में कमी की भरपाई कर सकता है। इस संबंध में ऋणदाता का निर्णय अंतिम होगा और कर्जदार द्वारा आवश्यक कार्य करने में विफलता की स्थिति में, इसे कर्जदार की ओर से डिफ़ॉल्ट की घटना के रूप में माना जाएगा और तथा ऋणदाता इन नियमों व शर्तों की शर्त 28 के अनुसार कदम उठाने का अधिकारी होगा।

28. डिफ़ॉल्ट की किसी भी घटना के घटित होने पर, ऋणदाता, अपने अधिकारों तथा इन नियमों व शर्तों के अंतर्गत प्रदान किए गए उपायों को बिना कोई क्षति पहुँचाए, या अन्यथा, कर्जदार को को भुगतान में तेजी लाने तथा इन नियमों व शर्तों के अंतर्गत सभी बकाया भुगतानों का सम्मान करने के लिए एक 15 दिन पूर्व का लिखित नोटिस भेजेगा। जिसमें असफल रहने पर ऋणदाता के पास प्रतिभूतियों/परिसम्पत्तियों को बेचने का अधिकार होगा। यदि कर्जदार ऐसे नोटिस की शर्तों के अनुसार बकाया भुगतानों का भुगतान करने में असफल रहता है तो ऋणदाता, कर्जदार की लागत पर उसकी प्रतिभूतियों/परिसम्पत्तियों को अपनी पॉलिसी के अनुसार बेच सकता है तथा ऐसी परिस्थिति में कर्जदार निलामी शुल्कों, कानूनी लागतों, ऋण जारी करने व इसकी वसूली के सम्बन्ध में हुए सभी खर्चों का वहन करेगा। फिर भी यदि कमी रह जाती है तो, कर्जदार उसकी भरपाई करने का पाबंद होगा तथा यदि समायोजन के बाद कुछ शेष रह जाता है तो उसे कर्जदार को वापिस कर दिया जाएगा।

29. कर्जदार यहां इसके द्वारा अपरिवर्तनीय ढंग से ऋणदाता और उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को कर्जदार की ओर से कार्य करने के लिए, कर्जदार के एकमात्र जोखिम और लागत पर और ऋणदाता के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम, कार्रवाई और कार्यवाही करने के लिए अधिकृत करता है, जैसा कि ऋणदाता उचित समझता है। , और/या परिसम्पत्तियों/ प्रतिभूतियों को बेचने के लिए, स्कीम के अंतर्गत भुगतान योग्य या परिसम्पत्तियों /प्रतिभूतियों के प्रवर्तन पर सभी राशियों को प्राप्त करने तथा उनकी प्राप्ति पर कर्जदार को एक वैध रसीद देने तथा ऐसी प्राप्तियों को कर्जदार के द्वारा अदायगी/भुगतान या अन्यथा की ओर समायोजित कर सकें।

30. ऋणदाता किसी भी तरह से प्रतिभूतियों/ परिसम्पत्तियों को किसी भी तरह से होने वाले नुकसान, जब तक की वे ऋणदाता के कब्जे में हो या मूल्यांकन कर्ता के द्वारा की जाने वाली जाँच प्रक्रिया या उपरोक्त अधिकारों व उपायों के इस्तेमाल या गैर-इस्तेमाल के कारण होने वाली किसी भी क्षति के लिए देनदार/उत्तरदायी नहीं होगा। उपरोक्त मूल्य या उपरोक्तानुसार ऋणदाता को उपलब्ध किसी भी अधिकार और उपायों के प्रयोग या गैर-प्रयोग के कारण। ऋणदाता किसी भी अधिकार के प्रयोग या गैर-प्रयोग के कारण किसी भी कारण से किसी भी हानि या क्षति या उसके कारण प्राप्त मूल्य में कमी या प्रतिभूति/परिसम्पत्ति के मूल्य में किसी भी हानि या कमी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। और ऋणदाता के लिए उपरोक्त उपाय उपलब्ध हैं।

31. कर्जदार इस आधार पर ऋणदाता के खिलाफ कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा कि प्रतिभूति/परिसम्पत्ति से एक बड़ी राशि या राशि प्राप्त की जा सकती है या प्राप्त की जानी चाहिए थी या वह कर्जदार के दायित्व पर विवाद करने का हकदार नहीं होगा। इन नियमों और शर्तों के अनुसार या ऋणदाता द्वारा लगाए गए ब्याज की दर के समायोजन के बाद कर्जदार की बकाया राशि की शेष राशि, जिसे कर्जदार ने सभी परिस्थितियों और बाजार परिदृश्य पर उचित विचार करने के बाद स्वीकार कर लिया है।

32. ऋणदाता, किसी अप्रत्याशित घटना के कारण प्रतिभूति/परिसम्पत्ति को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इन नियमों और शर्तों के प्रयोजनों के लिए अप्रत्याशित घटना की घटना का अर्थ ऋणदाता के उचित नियंत्रण से परे कोई भी घटना होगी, जिसमें बिना किसी सीमा के आग, बाढ़, चक्रवात, भूकंप, दैवीय कृत्य, हड़ताल, श्रम व्यवधान, चोरी, युद्ध (चाहे घोषित या अघोषित), दंगे, विद्रोह, आतंकवादी हमले, सरकारी प्रतिबंध या ऋणदाता के उचित नियंत्रण से परे कोई अन्य घटना शामिल है। यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है तथा सहमति दी जाती है कि ऋणदाता का दायित्व केवल तभी उत्पन्न होगा जब ऋणदाता या उसके विधिवत अधिकृत अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से जानबूझकर किए गए कार्य या चूक के कारण प्रतिभूति/परिसम्पत्ति को सीधे नुकसान या क्षति हुई हो।

33. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 या किसी अन्य लागू कानून या किसी नियमों व शर्तों जो इन नियमों व शर्तों के विपरीत हैं, के प्रावधानों के बावजूद, ऋणदाता इन नियमों व शर्तों के अनुसार, अपनी स्वतंत्र मर्जी से कर्जदार के द्वारा किए गए किसी भी भुगतान तथा ऋणदाता के द्वारा प्रतिभूति के प्रवर्तन या अन्यथा से प्राप्त राशि को, कर्जदार के द्वारा ऋणदाता को देय

राशि तथा/या कर्जदार या ऋणदाता के मध्य सहमत अन्य नियमों व शर्तों के अनुसार किसी भी तरीके से समायोजित कर सकता है।

34. कर्जदार यह घोषणा करता है कि:

- कर्जदार के पास इन नियमों और शर्तों को स्वीकार करने और ऋणदाता के पक्ष में उक्त प्रतिभूति/परिसम्पत्ति को जमानत के तौर पर रखने के सभी कानूनी अधिकार और पूरी शक्ति है तथा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था के पास, वास्तव में या शर्तों के आधार पर इस प्रतिभूति/परिसम्पत्ति को अपने कब्जे में लेने, इस्तेमाल करने या इन पर नियंत्रण का कोई अधिकार नहीं है।
- गिरवी रखी गई प्रतिभूति कर्जदार की एकमात्र वैध स्वामित्व में है और किसी अन्य व्यक्ति का उस पर कोई अधिकार, हित या दावा नहीं है;
- गिरवी रखी जा रही सम्पत्ति /संपत्तियाँ किसी चोरी हुए सामान का हिस्सा नहीं हैं;
- कर्जदार के पास परिसंपत्तियों से निपटने का पूर्ण अधिकार है तथा उसे परिसम्पत्तियों को बेचने/ जमानत के तौर पर रखने या परिसम्पत्तियों को निपटाने जिसमें उन्हें ऋण के लिए गिरवी रखने का शामिल है, का हक है। कर्जदार स्वीकार करता है कि ऋणदाता ने बिना कोई स्वतंत्र पूछताछ किए, केवल कर्जदार द्वारा दिए गए बयानों और आश्वासन पर कार्य किया है।
- ऐसी स्थिति में जब कर्जदार एक हिंदू अविभाजित परिवार या एच यू एफ के सदस्य हैं, तो प्रतिभूति कर्जदार की व्यक्तिगत संपत्ति का हिस्सा बनती है और संयुक्त रूप से रखी गई और/या स्वामित्व वाली संपत्ति का हिस्सा नहीं माना जाएगा।
- कर्जदार/कर्जदारों के खिलाफ किसी भी अदालत या किसी अन्य न्यायाधिकरण, न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या प्रशासनिक प्राधिकरण के समक्ष कोई कार्रवाई, मुकदमा या कार्यवाही लंबित नहीं है, जो कर्जदार/कर्जदारों के द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन को प्रभावित करे।

35. कर्जदार इस बात से सहमत है कि ऋणदाता, जैसा उचित और आवश्यक समझे, निम्नलिखित पूरी या थोड़ी जानकारी का खुलासा करने का हकदार है:

- कर्जदार से संबंधित जानकारी और डेटा;
- इन नियमों और शर्तों और/या संपत्ति प्रतिभूतियों, से संबंधित जानकारी या डेटा, यदि कोई हो, जिसे कर्जदार द्वारा ऋणदाता के पक्ष में प्रस्तुत किया गया है;
- ऋण के संबंध में कर्जदार द्वारा ग्रहण की गई बाध्यताएं / माने जाने वाले दायित्वों, ऋणदाता द्वारा दी गई / दी जाने वाली किसी अन्य क्रेडिट सुविधा के लिए कर्जदार द्वारा प्रस्तुत की गई हैं;
- उपरोक्त दायित्वों के निर्वहन में कर्जदार द्वारा की गई चूक, यदि कोई हो के बारे में क्रेडिट सूचना ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड ("CIBIL"), कोई अन्य ऐसी एजेंसी, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), सरकारी प्राधिकरणों, नियामक प्राधिकरणों और अधिकृत किसी अन्य एजेंसी को या इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक, CIBIL या सरकार के द्वारा अधिकृत एजेंसी को बताना। सिबिल आरबीआई, सरकारी प्राधिकरण/नियामक और/या इस प्रकार अधिकृत कोई अन्य एजेंसी ऋणदाता द्वारा प्रकट की गई उपरोक्त जानकारी और डेटा का उपयोग और/या प्रसंस्करण कर सकते हैं, किसी भी तरीके से जो उनके द्वारा उचित समझा जाए और संसाधित जानकारी और डेटा या उसके तैयार उत्पाद प्रस्तुत कर सकते हैं। उनके द्वारा, वित्तीय संस्थानों और अन्य क्रेडिट अनुदानकर्ताओं या पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को, जैसा कि आरबीआई,

आरबीआई, CIBIL, सरकारी अधिकारियों द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

36. कर्जदार समझता है कि ऋण ऋणदाता की वेबसाइट: www.paulfincap.com पर प्रकाशित ऋणदाता के "उचित अभ्यास संहिता" की शर्तों के अनुपालन में स्वीकृत किया गया है।

37. इन नियमों और शर्तों में किसी भी परिवर्तन होने के मामले में, उन्हें ऋणदाता की वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा, जिसे कर्जदार पर इस संबंध में नोटिस की उचित सेवा माना जाएगा। कर्जदार की यह जिम्मेवारी है कि वह समय-समय पर परिवर्तित होने वाले अपडेट /परिवर्तन की समीक्षा करे और ऋणदाता द्वारा किया गया कोई भी परिवर्तन स्वचालित रूप से इन नियमों और शर्तों का हिस्सा बन जाएगा।

38. यदि कर्जदार को सोने के आभूषणों की जमानत की एवज में लिए गए ऋण से संबंधित किसी भी पहलू के बारे में कोई शिकायत है, तो उसे पहले इसे संबंधित शाखा प्रबंधक के ध्यान में लाना होगा। यदि शाखा प्रबंधक शिकायत का समाधान नहीं कर पाता है, तो कर्जदार इस मामले को संबंधित क्षेत्र प्रबंधक के समक्ष उठाएगा, जिसका पता शाखा परिसर में प्रदर्शित किया गया है। यदि क्षेत्रीय प्रबंधक भी कर्जदार की संतुष्टि के अनुसार शिकायत का समाधान नहीं कर पाता है, तो कर्जदार कंपनी के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को इस पते पर लिख सकता है:- शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, पॉल मर्चेंट्स फाइनेंस (प्रा.) लिमिटेड, एस सी ओ 829 - 830 सेक्टर 22 - ए, चंडीगढ़ – 160022.

39. यदि ऋण/ब्याज की भुगतान की नियत तारीख किसी गैर-कार्य दिवस पर आती है, तो कर्जदार द्वारा उस दिन से ठीक पहले के कार्य दिवस पर यह भुगतान किया जाएगा।

40. इन नियमों और शर्तों के तहत कर्जदार को जारी किया जाने वाला कोई भी नोटिस, निवेदन, मांग या अन्य संचार पत्र:

क) लिखित में होंगे तथा इनको कर्जदार को दस्ती, कोरियर या रजिस्टर्ड डाक से उसके द्वारा ऋण आवेदन पत्र में बताए गए पते पर दिए जाएंगे।
ख) इनको कर्जदार को उसके आवेदन पत्र में उल्लिखित पते पर या यहां उल्लिखित पते पर और ऋणदाता को उसके कार्यालय/शाखा पते पर या ऐसे अन्य पते पर भेजा जाएगा जिसे कोई भी पक्ष इसके बाद दूसरे पक्ष को लिखित रूप में सूचित कर सके।
ग) इसको ऋणदाता के साथ पंजीकृत नम्बर पर एस एम एस या ईमेल द्वारा सूचित किया जाएगा।

41. यदि आवेदन पत्र में दिए गए पते या फ़ोन नंबर में कोई परिवर्तन हो तो कर्जदार द्वारा ऋणदाता को इसकी जानकारी रजिस्टर्ड पत्र या दस्ती सूचित किया जाना चाहिए, अन्यथा इसमें असफल रहने पर यह मान लिया जाएगा कि आवेदन पत्र में दिए गए पते पर भेजा गया नोटिस कर्जदार ने प्राप्त कर लिया है, इसकी पावती की परवाह किए बगैर।

42. दोनों पक्ष यहां इस बात पर स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि किसी भी संपार्श्विक (रैहन) दस्तावेज़ सहित इन नियमों और शर्तों से उत्पन्न होने वाले और/या संबंधित सभी विवादों को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संशोधित या पुनः अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, जैसा कि संशोधित या ऋणदाता द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ द्वारा इसका पुन: अधि नियमन किया जा सकता है, । ऐसी मध्यस्थता की लागत कर्जदार द्वारा वहन की जाएगी या अन्यथा मध्यस्थता निर्णय के द्वारा तय पक्ष के द्वारा निर्धारित की जाएगी। यदि किसी पक्ष को किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई द्वारा मध्यस्थ पुरस्कार लागू करने की आवश्यकता होती है, तो जिस पक्ष के खिलाफ ऐसी कानूनी कार्रवाई की जाती है, उसे सभी उचित लागत,खर्च और वकील की फीस का भुगतान करना होगा, जिसमें दूसरे पक्ष के द्वारा निर्णय को लागू करने के लिए की गई अतिरिक्त मुकद्दमेबाजी या मध्यस्थता का खर्च शामिल है पुरस्कार को लागू करने के लिए. मध्यस्थता का स्थान चंडीगढ़ होगा। चंडीगढ़ के न्यायालयों के पास इन नियमों व शर्तों से पैदा होने वाले सभी विवादों को सुनने व उन पर निर्णय देने का विशेष क्षेत्राधिकार होगा।

43. क्षतिपूर्ति (हानि से सुरक्षा): - कर्जदार ऋणदाता और उसके निदेशकों और प्रतिनिधियों और सभी संबंधित पक्षों को किसी भी हानि से सुरक्षित बचा कर रखने के लिए सहमत है तथा वह ऋणदाता को ऋण के उपयोग या दुरुपयोग, इन नियमों व शर्तों के किसी प्रकार के उल्लंघन, इन नियमों व शर्तों में किसी असत्यता या कर्जदार के द्वारा किए गए आवेदन, आश्वासन या आपसी सहमति के उल्लंघन के कारण पैदा होने वाले दावों, हानियों, क्षतियों, दायित्वों, लागतों व खर्चों, जिनमें सीमा सहित या रहित कानूनी फीस व खर्चे शामिल हैं, से बचाकर रखेगा।

44. कर्जदार यह घोषणा करता है कि उसके द्वारा ऋणदाता को इन नियमों व शर्तों के अंतर्गत प्रदान की गई जानकारी व डेटा, जिनमें शेड्यूल व अनुबंध शामिल हैं, सत्य और सही हैं। कर्जदार जानकारी में किसी भी बदलाव की स्थिति में तुरंत ऋणदाता को जानकारी प्रस्तुत करने का वचन देता है।

45. इन नियमों व शर्तों पर हस्ताक्षर करके, कर्जदार यहां पर ऋणदाता तथा इसकी सहयोगी /सम्बन्धित संस्थाओं के उत्पादों के बारे में एस एम एस व ई-मेल प्राप्त करने व कलैक्शन कॉल्स प्राप्त करने का विकल्प चुनने के लिए सहमति देता है।

उपरोक्त नियम एवं शर्तें और अन्य ऋण दस्तावेजों की सामग्री मुझे मेरी मातृभाषा में समझा दी गई है, जिसे मैंने समझा है, समझकर, बिना शर्त अपनी सहमति व स्वीकृति दी है।

हस्ताक्षर

नाम तिथि

पता स्थान